D1 | R.M.P. Law College [illegible] | [illegible] | Contract Law Part – II

उपनिधाता का अधिकार (Rights of [illegible])

Bailment की संविदा के अंतर्गत Bailee के जो कर्तव्य होते हैं, उन्हीं के प्रति Bailor को अधिकार प्राप्त होता है-

(i) प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार — Bailee का कर्तव्य है कि वह उपनिहित की गई माल या वस्तु की उतनी सुरक्षा और सतर्कता बरते जितना कि मामूली व्यक्ति अपने वस्तु का वैसी ही परिस्थिति में बरतता है जो उसी परिमाण, गुण या मूल्य का हो। यदि वह ऐसा नहीं करता है जिसके कारण उपनिहित माल को हानि या क्षय होती है तो उस हानि या क्षय के लिए दायी होगा। Bailor उस हानि या क्षय के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। (धारा 151-152)

(ii) यदि Bailee उपनिहित माल के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करता है जो उपनिधान की शर्तों के असंगत हो जिसके कारण उपनिहित माल को हानि होती है तो Bailor Bailee से प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा (धारा-153)

(iii) यदि Bailee माल का अप्राधिकृत प्रयोग करता है और ऐसे उपयोग से या उपयोग के दौरान उपनिहित माल को हानि होती है तो Bailor Bailee से प्रतिकर वसूल कर सकता है, भले ही क्षति Bailee की त्रुटि के कारण न हुई हो। (धारा-154)

Scanned with CamScanner

R2 उपनिधाता का अधिकार
(Right of Bailor)

(2) क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार → Bailee उपनिहित की गई वस्तु का, अपनी वस्तु के साथ बिना Bailor के सम्मति के मिश्रण या मिलावट नहीं कर सकता (धारा-155)

यदि Bailee Bailor की सम्मति के बिना उपनिहित की गई वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिश्रण करता है तो अब वस्तुएँ पृथक करने योग्य है तो उसके पृथक किये जाने में जो भी खर्च होगा, उपनिधाता क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल कर सकता है। (धारा 156)

यदि Bailor की सम्मति के बिना Bailee ने उपनिहित की गई वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिश्रित कर दी है, जो पृथक करने योग्य नहीं है तो Bailor होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। (धारा-157)

(3) उपनिधाता का उपनिहित माल वापस प्राप्त करने का अधिकार → Bailment का उद्देश्य पूर्ण होने पर वस्तुएँ प्रत्यावर्तन या लौटाने योग्य होती है। निःशुल्क उपनिधान के मामले में विशिष्ट समय या उद्देश्य के लिए दी गई वस्तुएँ Bailor की इच्छा पर किसी भी समय वापस मांगी जा सकती है। (धारा-159)

सामान्यतया उपनिधान के अन्तर्गत प्रयोजन या समय निर्दिष्ट रहता है, जिसकी पूर्ति या अवसान हो जाने पर Bailor पुनः वस्तु को वापस प्राप्त कर सकता है। (धारा 160, 161)

(4) वृद्धि या लाभ प्राप्त करने का अधिकार → प्रतिकूल संविदा के अभाव में, यदि उपनिधान के अन्तर्गत उपनिहित की गई वस्तु में कोई अभिवृद्धि हो जाय तो उस वृद्धि या लाभ को Bailor प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। (धारा-163)

(5) उपनिधान को समाप्त करने का अधिकार- यदि Bailee उपनिहित माल के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करता है जो Bailment के शर्तों के विरुद्ध है तो Bailor के विकल्प पर Bailment voidable होगा और परिणामतः Bailor Bailment को

Scanned with CamScanner

समाप्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner